भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 83] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 24, 1971/आषाढ़ 3, 1893

No. 83] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 24, 1971/ASADHA 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 24th June 1971

SUBJECT.—*Import of books (S. Nos. 169-170/IV) during April 1971—March 1972.*

No. 67-ITC(PN)/71.—Attention of the importers is invited to the policy for import of books (S. Nos. 169-170/IV) as contained in Appendix 21 to the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1971—March 1972.

2. On a review of the position, it has been decided that the entry, "The Complete Works of Shakespeare" appearing in para 5(v) of the said Appendix may be deemed to have been deleted.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 24 जून, 1971

विषय: अप्रैल, 1971–मार्च, 1972 के दौरान किताबों (क्रम सं० 169–170/4) का आयात ।

सं० 67-आई० टी० सी० (पी०एन०)/71—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1971–मार्च 1972 की अवधि के लिए आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक बा० 1) के लिए परिशिष्ट 21 में दिए गए के अनुसार किताबों (क्रम सं० 169–170/4) के आयात से सम्बन्धित नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने बाद, यह निश्चय किया गया है कि उक्त परिशिष्ट की कडिका (5) में दिखाई गई प्रविष्टि "शेक्सपीयर की सम्पूर्ण कृतियों" को हटाया गया समझा जाए ।

SUBJECT:—*Conditions for licensing of private sector imports under the Tenth Yen Credit (Non-Project Aid).*

No. 68-ITC(PN)/71.—The conditions governing the issuance of import licences for private sector imports under the Tenth (10th) Yen Credit (Non-Project Aid) from Japan as given in Appendix to this Public Notice are notified for the information of the trade.

APPENDIX

Conditions for licensing of private sector imports under the Tenth Yen Credit (Non-project Aid)

1. The import licence will be issued with an initial validity period of twelve months.

2. Firm orders must be placed on the Japanese suppliers within 4 months of issue of the licence. If necessary, the licence may be presented to the CCI&E/ JCCI&E for revalidation for ordering giving reasons why orders could not be placed within four months. The request will be considered on merits in consultation with the Department of Economic Affairs and if accepted, the licence will be revalidated for ordering for a further period of three months.

3. The contract should be on C.I.F. or C&F basis. It should clearly indicate the value of the goods in YEN currency showing freight and insurance separately. The contract has to be approved by the Government of India and the Government of Japan for financing under Tenth Yen Credit.

4. The minimum value of a contract for items like power tiller components and truck and tractor components, etc., is Yen 36,000,000 (Rs. 7.67 lakhs). For items like Rolls, Steel including Special and Alloy Steel, and Chemicals the minimum is Yen 9,000,000 (Rs. 1.92 lakhs). For contracts where the importers are Indo-Japanese ventures, the minimum value limit is Yen 1,800,000 (Rs. 38.340/-).

5. Only one contract should be entered into against the full value of the import licence. Contracts for a part of the value of a licence may be permitted in exceptional cases. Such cases require prior approval of the Department of Economic Affairs. *A single L/C has to be opened for the full amount of the contract.*

6. The contracts should provide for payment on cash basis i e., on presentation of shipping documents. The contract should also provide for the period of delivery of goods as follows:

"Within————————months after the receipt of letter of credit but to be completed latest by the end of September, 1973".

No payments can be permitted after the 30th September, 1973.

7. Three copies of the contract between the Indian importer and the Japanese supplier, *signed by both the parties, alongwith a copy of the valid import licence.* should be forwarded to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE-II Section), North Block, Central Secretariat, New Delhi, along with a letter (Annexure I) from a bank authorised to deal in foreign exchange through which the letter of credit in favour of the supplier will be opened. Besides, the statement containing the following information should accompany the request for financing of the contract under the Ninth Yen Credit.

(i) Name and address of the Indian Importer.

(ii) Name and address of the Japanese suppliers.

(iii) Name and address of the suppliers' bank in Japan and of the Importers' bank in India.

(iv) Value of the contract in Japanese Yen and Indian rupees converted at the composite rate of exchange, indicating f.o.b. value, freight charges and insurance separately.

(v) Short description of the goods to be imported.

(vi) A schedule indicating the probable dates and amounts of payments to be made to the supplier under the contract. The presumptions on which the schedule is based may also be indicated.

(vii) Number and date of the import licence.

8. *The special clauses mentioned in the Annexure II should be incorporated in the contracts.*

9. As soon as the approval of the EXIM Bank to the financing of the contract under the Yen Credit arrangement is received, the importer will be advised to furnish a bank guarantee (with a copy thereof) in the form prescribed as at Annexure III to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE-II Section), North Block, New Delhi to enable them to permit the opening of an irrevocable letter of credit on the Japanese Bank. The guarantee should be furnished within fifteen days after the receipt of a letter received from the Department of Economic Affairs intimating the approval of the Export-Import Bank of Japan to the contract.

10. If the bank guarantee is found in order, the Indian Bank furnishing the bank guarantee will be authorised to open a letter of credit as in Annexure III. *No foreign exchange remittance from India will be permitted under this licence...* The letter of credit would provide for pyaments to the supplies or their bankers, by the specified Japanese Bank against the Tenth Yen Credit.

11. A copy of the letter of credit should be sent by the Bank concerned to:—

(i) The Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (WE-II Section), Room No. 270, North Block, New Delhi, and

(ii) The Counsellor (Economic, Embassy of India, Tokyo, Japan).

12. As and when payments are made against this licence, the importers through their bankers will have to deposit the rupee equivalents of Yen Amount paid alongwith other amounts as indicated below:—

(i) Rupee equivalent of the Yen payment to the suppliers, or their bank in Japan, by applying the composite rate of conversion of 1 Yen: Rs. 0.0213. (*Any change in this rate will be intimated if and when made*).

(ii) Interest at 6 per cent per annum for the period between the date of payment to the suppliers, or bank in Japan and the actual date of deposit of the rupee equivalents for credit to the Government account. (*Any change in this rate will be intimated if and when made*).

13. The amount specified in condition 12 above shall be deposited with the State Bank of India, Delhi, or the Reserve Bank of India, New Delhi, or remitted by means of a demand draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in public notices No. 184-ITC(PN)/68 of 30-8-1968 and No. 233/ITC(PN)/68 of 24/10/1968. The head of account to be credited is "T-Deposits and Advances—Part II Deposits not bearing interest—Civil Deposits—Deposits for purchases abroad under direct payment procedure under foreign loans/credits" under the detailed head "Deposits for cost of equipment etc., obtained under the Tenth Yen Credit (Non-Project Aid) from Japan." The intimation of deposits should be sent to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi. The Bank giving the guarantee should release the negotiable set of import documents to the importers only after arranging the rupee deposits as indicated above. They should also endorse the amount of the deposit on the exchange control copy of the licence and send the requisite "S" form to the Reserve Bank of India, Bombay.

14. On completion of the payments against the letter of credit and deposit of rupee equivalents against the Bank guarantee a report giving particulars of deposits made should be sent to the Controller of Aid Accounts, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi requesting for release of the Bank Guarantee.

15. The importer should send a monthly report after the L/C has been opened, regarding shipments made and payments made there against to the suppliers and the balance left to the Controller of Aid Accounts, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi, alongwith a spare copy for use of WE-II Section.

ANNEXURE I

Dated

The Secretary,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
North Block,
New Delhi.

SUBJECT:—Import of goods from Japan under the Tenth Yen Credit—

Import Licence No. dated
for Rs. issued in favour of M/s.
.....

Dear Sir,

We hereby undertake to furnish a bank guarantee equivalent to the value of the above-mentioned import licence, in your favour, within 15 days of intimation of the approval of the contract by you.

2. We also undertake to establish within 15 days of the authorisation from you the necessary Letter of Credit on the Japanese bank for the *full value* of the authorised amount and to provide you a copy thereof.

Yours faithfully,

ANNEXURE II

Special clauses to be incorporated in the private sector contracts to be financed under the tenth Yen Credit (non-project aid).

(a) This export-import contract is arranged in accordance with the Loan agreement dated the 20th April, 1971 concerning the Tenth Yen Credit (Non-Project Aid) to India.

(b) This export-import contract shall become effective upon the approval of the Government of India and the Government of Japan.

(c) Payments in Yen under this contract to the exporter will be made under a confirmed irrevocable letter of credit opened in the form attached on a Japanese bank designated for the purpose through the importer's Bank in India.

(d) The exporter hereby agrees to furnish such information and documents as required under the Yen Credit arrangement by the Government of India and the Japanese participating banks.

(e) The exporter hereby agrees to furnish a report to the Embassy of India, Tokyo, immediately after completion of the shipping arrangements along with one copy of the invoice and one copy of the Bill of Lading.

ANNEXURE III

Guarantee Bond

To

The President of India,

In consideration of the President of India (Hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Yens for the import of ———————— by ———————— (hereinafter called the 'importer') under the terms and conditions of Tenth Yen Credit (Non-Project Aid), we———————— ———— Bank Ltd., at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amounts of the disbursements made by the Japanese Bank converted at the rate of 1 yen: Re. 0.0213 or the rate of conversion indicated for the purpose at the time of deposit, within ten days of the receipt of advice of payments for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by the Government of India under the said credit together with interest thereon at the rate of 6 per cent, per annum, from the date of payment to the Japanese supplier to the date of payment of Rupee equivalent for credit to the Government account. The negotiable set of import documents received from the Japanese Bank will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above have been made.

2. We, the ———————— Bank Ltd., also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct, such sums not exceeding Rs. ————or any part thereof, for the time being due to payable by the importer, together with interest at the rate of interest mentioned in preceding paragraph from the date of payment to the Japanese supplier. The decision of the Government as to any default in the said payment by the importer, or on his part and in regard to the amount payable to the Government of by us ———————— Bank Ltd., shall be final and binding on us ———————— Bank Ltd.

3. We ———————— Bank Ltd., further agree that in case of increase in the value of imports or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the IMF parity rate of exchange, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place, in proportion to this change.

4. We ———————— Bank Ltd., further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under, or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be affected by any change in the constitution of the importer or the ———————— Bank Ltd., and the Government shall have the fullest liberty without effecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exercisable by it against the importer and the ———————— Bank Ltd., shall not be released from its liability under this guarantee by any exercise of the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or by reason of time being given to the importer or any other forbearance, act or commission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the Importer or by any other matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties shall, but for this provision, have the effect of so releasing the ———————— Bank Ltd., from its such liability.

6. We ———————— Bank Ltd., lastly undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government, in writing.

7. Our liability under this bond/guarantee is restricted to Rs. ———————— (Plus interest and commission charges, not expected to exceed 1 per cent of the guarantee amount) and this guarantee shall remain in force till **day of ———— Unless claims under this bond/guarantee are made in writing within six months of this date and unless suit or action to enforce these claims is commended, within another six months thereafter i.e. up to ———————— all Government's rights under this bond/guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated the ——— day of ————19

for ———————— Bank Ltd.

Accepted for and on behalf
of the President of India by

Shri ————————

(Name and designation)

Signature Signature

**This date shall be arrived at by adding one month to the date up to to which the Letter of Credit is required to be kept valid.

NOTE.—The value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed is to be adjudicated by the Collector of Stamps under Section 31 of the Indian Stamps Act.

ANNEXURE IV

(Name of issuing Bank in India)

To

(Designated Japanese Bank) (Date)

This letter of credit has been issued pursuant to Article V of the Loan Agreement dated ——— concerning the Tenth Yen Credit (Non-Project Aid) to India and in accordance with the Notice of Approval No. ———Issued by the Export-Import Bank of Japan.

Dear Sirs,

We request you to advise ——— that we have opened our irrevocable credit No. ——— in their favour for account of ——— for a sum or sums not exceeding a total of ——— available by beneficiary's draft(s) at sight for——— ———invoice value drawn on your (Designated Japanese Bank), covering shipment from ——— to ——— of ——— to be ——— accompanied by the following documents:

———

———

———

All documents must indicate import licence No. ——— and the Expoort-Import Bank of Japan Notice of Approval No. ——— Partial shipments are permitted/not permitted. Trans-shipment is permitted/not permitted. Shipment must be effected not later than ——— Draft must be presented to the drawee not later than ———.

All draft drawn hereunder must be marked "Drawn" under ——— Irrevocable Credit ——— Dated ———.

We hereby undertake that all drafts drawn under and in compliance with the terms of the credit shall be duly honoured on due presentation and delivery of documents to the drawee.

All negotiable documents must be airmailed directly to us by your bank.

Special Instructions:

1. This Letter of Credit does not become available unless the issuance of Letter of Undertaking as provided for in Article V of the Loan Agreement dated ——— ——— concerning the Tenth Yen Credit (Non-Project Aid) is confirmed and certify by you to that effect on the fact of your advice of this Credit to the beneficiary.

2. Simultaneously with the payment of draft(s) under this Letter of Credit, reimbursement shall be obtained by you in accordance with Article V of the said Loan Agreement.

3. All banking charges in connection with this Letter of Credit are to be paid by us.

4. The terminal date for making payments under this Letter of Credit will be ———.

Yours faithfully,

NOTE.—The issuing Bank in India should notify the Department of Economic Affairs (WE-II Section) of the opening of the Letter of Credit, with a copy of the Letter of Credit opened.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय —दसवें येन क्रेडिट (गैर-परियोजना सहायता) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र आयातों के लिए लाइसेंस शर्तें ।

सं० 68-आई०टी०सी० (पी०एन०)/71 —दसवें (10 वें) येन क्रेडिट (गैर-परियोजना सहायता) के अन्तर्गत जापान से निजी क्षेत्र आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए शासित करने वाली जैसी शर्तें, प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबन्ध मे दी गई है, वे व्यापार की जानकारी के लिए अधिसूचित कर दी जाती है ।

परिशिष्ट

दसवें येन क्रेडिट (गैर-परियोजना ए आई डी) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र आयात के लिए लाइसेंस शर्तें ।

1 आयात लाइसेंस 12 मास की प्रारंभिक वैध अवधि के लिए जारी किया जाएगा ।

2 जापानी संभरकों को फर्म आदेश, लाइसेंस जारी होने की तिथि से चार मास के भीतर अवश्य दे दिए जाने चाहिए । यदि आवश्यक हो तो, आदेश देने के लिए लाइसेंस के पुर्नवैधीकरण के लिए यह कारण बताते हुए कि आदेश चार मास की अवधि के भीतर क्यों नहीं दिए जा सके, लाइसेंस को मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात/संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात को प्रस्तुत किया जा सकता है । आर्थिक कार्य विभाग के साथ परामर्श कर आवेदन पर पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा और यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो आदेश देने के लिए लाइसेंस और 3 मास की अवधि के लिए पुनर्वैध किया जाएगा ।

3 संविदा लागत बीमा भाडा या लागत तथा भाड़ा के आधार पर होनी चाहिए । इसमें भाडा और बीमा मूल्य को अलग अलग दिखाते हुए माल का मूल्य येन मुद्रा में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए । दसवें येन क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए, संविदा भारत सरकार और जापान सरकार द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए ।

4 पावर टिल्लर संघटकों और ट्रक तथा ट्रैक्टर संघटकों इत्यादि जैसी मदों के लिए संविदा का मूल्य कम से कम येन 36000000 (67 लाख रुपये) है । विशेष स्टील तथा अलौह स्टील सहित रौल्ज स्टील और रसायनों जैसी मदों के लिए संविदा का कम-से-कम मूल्य येन 9,000,000 (1.92 लाख रुपये) है । ऐसी संविदाओं के लिए जिन में आयातक और इन्डो जापानी वैन्चर्स शामिल हैं उनका कम से कम मूल्य येन 1,800,000 (38.340 रुपया) है ।

5 आयात लाइसेंस के पूरे मूल्य के विपरीत केवल एक संविदा की जानी चाहिए । विशेष मामलों में लाइसेंस के आंशिक मूल्य के लिए संविदा स्वीकृति दी जा सकती है । ऐसे मामलों में आर्थिक कार्य विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है । संविदा के पूरे मूल्य के लिए एक साख-पत्र खोला जाना है

6 संविदा में पोतलदान दस्तावेजों की प्रस्तुत करने पर नकद आधार पर भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए । संविदा में माल के बटन की अवधि के लिए निम्नप्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए ।

"साख-पत्र प्राप्ति के पश्चात————————————मास के भीतर, किन्तु अधिक से अधिक सितम्बर, 1973 के अंत तक पूरी की जानी है । 30 सितम्बर, 1973 के बाद किसी भी प्रकार के भुगतान की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है ।

7. भारतीय आयातक तथा जापानी संभरकों के बीच की गई संविदा जो दोनों द्वारा हस्ताक्षरित है उसकी तीन प्रतियों के साथ वैध आयात लाइसेंस की प्रति और इसके साथ विदेशी मुद्रा में व्यापार करने वाले उस प्राधिकृत बैंक से प्राप्त एक पत्र (अनुबन्ध 1) को जिसके द्वारा संभरक के नाम में साख पत्र खोला जाएगा, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–2 अनुभाग), नार्थ ब्लाक, केन्द्रीय सचिवालय, नई दिल्ली को भेजा जाना चाहिए और इसके अलावा, विवरण जिसमें निम्नलिखित जानकारी हो इसके साथ नौवें यैन क्रेडिट के अन्तर्गत वित्तदान के लिए आवेदन भी किया जाना चाहिए :—

(1) भारतीय आयातक का नाम और पता ।

(2) जापानी आयातकों का नाम और पता ।

(3) जापान में संभरक के बैंक और भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता ।

(4) पोत पर निःशुल्क मूल्य, भाड़ा प्रभार और बीमा मूल्य को अलग अलग संकेत करते हुए विनिमय की मिली जुली दर पर परिवर्तित संविदा का जापानी येन और भारतीय रुपये में मूल्य ।

(5) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण ।

(6) संविदा के अन्तर्गत संभरक को किए जाने वाले भुगतानों के अनुमानित मूल्य और तिथियों को दर्शाते हुए एक अनुसूची । वह अनुमान जिस पर अनुसूची आधारित है, उसका भी संकेत किया जाए ।

(7) आयात लाइसेंस की संख्या और दिनांक ।

8. अनुबन्ध-2 में निर्दिष्ट विशेष धाराएं संविदाओं में समाविष्ट की जानी चाहिए ।

9. यैन क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत संविदा सम्बन्धी वित्तदान के लिए जैसे ही एक्जिम बैंक का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो आयातक को अनुबन्ध-3 में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार एक बैंक गारन्टी (उसकी एक प्रति के साथ) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यु–2 अनुभाग) नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजने की सलाह दी जाएगी ताकि वे जापानी बैंक में अपरिवर्तनीय साख-पत्र खोलने की अनुमति दे सकें । संविदा के सम्बन्ध में जापान के आयात-निर्यात बैंक के अनुमोदन की सूचना देते हुए आर्थिक कार्य विभाग से प्राप्त किए गए पत्र के 15 दिनों के भीतर बैंक गारंटी भेजी जानी चाहिए ।

10. यदि बैंक गारन्टी सही तरीके में पाई जाती है, तो बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने वाला भारतीय बैंक अनुबन्ध-2 में दिए गए के अनुसार साख पत्र खोलने के लिए प्राधिकृत होगा । प्रस्तुत लाइसेंस के अन्तर्गत भारत से किसी भी प्रकार की विदेशी मुद्रा प्रेषण की स्वीकृति नहीं दी जाएगी । दसवें यैन क्रेडिट के लिए विशिष्टकृत जापानी बैंक द्वारा संभरकों अथवा उनके बैंकरों को भुगतान के लिए साख-पत्र में व्यवस्था की जाएगी :

11. संबधित बैंक द्वारा साख-पत्र की एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जानी चाहिए —

(1) वित्त मत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, (डब्ल्यू–2 अनुभाग) कमरा न० 270, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली; और

(2) परामर्शदाता आर्थिक, भारत का राजदूतावास, टोकियो, (जापान)।

12 प्रस्तुत लाइसेंस के विपरीत जब और जैसे ही अनुभाग किए जाते है, आयातकों को अपने बैंकरों के माध्यम से उन्हे अदा किए गए यैन राशियो के संतुल्य रुपयो को और इसके साथ निम्नलिखित अन्य राशियों को जमा कराना पड़ेगा :—

(1) जापान मे सभरकों अथवा बैंक को यैन भुगतान के संतुल्य रुपये को परिवर्तन की मिलो जुली दर पर राशि 1 यैन : 0.0213 रुपये की विधि को लागू करते हुए (जब कभी, इस दर मे कोई परिवर्तन होगा तो इसकी सूचना दे दी जाएगी)।

(2) सभरकों अथवा जापान मे बैंक को किए गए भुगतान की विधि और सरकार के खा मेते क्रेडिट के लिए संतुल्य रुपये को जमा करने की वास्तविक तिथि के बीच की अवधि के लिए 6 प्रतिशत की दर से ब्याज (जब कभी इस दर मे परिवर्तन किया जाएगा उसकी सूचना दे दी जाएगी)।

13. सार्वजनिक सूचना सख्या 184-आईटीसी (पीएन)/68, दिनाक 30–8–1968 तथा 233-आईटीसी (पीएन)/68दिनाक 24-10-1968 के ध्नुसार अपेक्षित उपर्युक्त शर्त 12मे विशिष्टकृत राशि को सरकार के खाते म क्रेडिट के लिए रिजर्व बैंक आफ इडिया नई दिल्ली मे जमा कराया जाएगा या स्टेट बैंक आफ इन्डिया, तीस हजारी दिल्ली-6 के एजेन्ट के नाम मे डिमान्ड ड्राफ्ट केमाध्यम से प्रेषण किया जाएगा। जमा करने के लिए खाते का शीर्ष है" टी डिपोजिट्स एड एडवासिस–पार्ट–2 डिपोजिट्स नाट बीयरिंग इन्ट्रेस्ट-सिविल डिपोजिट्स–पर फार चेजेज एग्राड अन्डर डाइरेक्ट पैमेन्ट प्रासिजर अन्डर फारेन लोन्स /क्रेडिट्स" बिस्तृत शीर्ष के अन्तर्गत :— "डिपोजिट्स फार कोस्ट आफ इक्यूपमेन्ट एक्सट्रा, आपटेन्ड अन्डर दि टेन्थ यैन क्रेडिट (नान–प्रोजेक्ट एड) फ्राम जापान होगा। निक्षेपों की सूचना नियत्रक, सहायता लेखा, वित्त मत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए। गारन्टी देने वाले बैंक को चाहिए कि वे उपयुक्त सकेतित रुपये के निक्षेपों की व्यस्था करने के पश्चात् ही आयतकों को परक्राम्य सैट वापिस करे। उन्हे यह भी चाहिए कि वे जमा की गई राशि को लाइसेंस की मुद्रा विनियम प्रति पर पृष्ठाति करें और आवश्यक "एस" प्रपत्र को रिजर्व बैंक आफ इडिया बम्बई को भेजे।

14. साख पत्र के विपरीत भुगतानों के पूर्ण होने के पश्चात् और बैंक गारन्टी के विपरीत संतुल्य रुपये जमा किए जाने के पश्चात् किए गए निक्षेपो का ब्यौरा देकर बैंक गारन्टी को मुक्त करने की प्रार्थना करते हुए नियत्रक सहायता लेखा, वित्त मत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लिामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को एक रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

15 साख पत्र खोले जाने के पश्चात् आयातक को चाहिए कि वह किए गए पोत लदान और उसके लिए सभरकों को किए गए भुगतानो और बाकी बैलेन्स के विषय मे एक रिपोर्ट को उसकी एक फालतू प्रति के साथ जो डब्ल्यू–2 विभाग के प्रयोग के लिए होगी, नियत्रक सहायता लेखा, आर्थिक कार्यविभाग जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेन्ट स्ट्रीट, नई दिल्ली को भेजे।

अनुबन्ध–1

दिनाक :

सचिव,

वित्त मन्त्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
नार्थ ब्लाक,
नई दिल्ली ।

विषय : दसवें यैन, क्रेडिट के अन्तर्गत जापान से माल का आयात –
सर्वश्री.....के नाम में
.....रुपये के लिए जारी किया गया लाइसेस सख्या....
दिनाक.....

प्रिय महोदय,

हम एतद्द्वारा, उपर्युक्त आयात लाइसेस मे निर्दिष्ट मूल्य के बराबर आपके द्वारा सविदा अनुमोदन की सूचना की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर ही आपके नाम एक बैंक गारन्टी देने का वचन देते है ।

हम आपके द्वारा जारी किए गए प्राधिकरण की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर, प्राधिकृत राशि के पूरे मूल्य के लिए जापानी बैंक मे आवश्यक साख-पत्र की स्थापना करने और आपको उसकी एक प्रति भेजने का भी वचन देते हैं ।

भवदीय,

अनुबन्ध 2

दसवें येन क्रेडिट (गैर–परियोजना सहायता) के अन्तर्गत वित्तयुक्त की जाने वाली निजी क्षेत्र संविदाओं में समाविष्ट की जाने वाली विशेष धाराएं ।

(क) भारत के लिए दसवें येन क्रेडिट (गैर–परियोजना सहायता) से सम्बन्धित ऋण करार दिनांक 20 अप्रैल, 1971 के अनुसार प्रस्तुत निर्यात–आयात संविदा की व्यवस्था की जाती है ।

(ख) प्रस्तुत निर्यात–आयात संविधा भारत सरकार और जापान सरकार के अनुमोदन पर ही प्रभावी होगी ।

(ग) इस संविदा के अन्तर्गत निर्यातक के लिए येन में भुगतान, भारत में आयतक के बैंक के माध्यम से इस कार्यके लिए नामित किए गए जापनी बैंक सम्बन्धित प्रारुप में खोले गए पक्के अपरिवर्तनीय साख–पत्र के अन्तर्गत किए जाएंगे ।

(घ) निर्यातक एतद् द्वारा ऐसी जानकारियों और वस्तावेजों को भेजने के लिए राजी होता है जो येन क्रेडिट व्यवस्था के अन्तर्गत भारत सरकार तथा जापानी सम्मिलित बैंको द्वारा मागी जाए ।

(ङ) निर्यातक एततद्द्वारा इसके लिए राजी होता है कि वह लदान सम्बन्धी व्यवस्थाओं के पूर्ण होने के तुरन्त बाद, बीजक की एक प्रति और लदान पत्र की एक प्रति के साथ एक रिपोर्ट भारत का राजदूतावास टोकियो को भेजेगा ।

अनुबन्ध 3

गारन्टी बान्ड

सेवा में

भारत के राष्ट्रपति (जिसे इस के बाद 'सरकार' कहा गया है) के बदले में दसवें येन क्रेडिट (गैर–परियोजना सहायता) की शर्तों के अन्तर्गत.....(जिसे इसके बाद 'आयातक' कहा गया है) के द्वारा का आयात करने के लिए येन मुद्रा में भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए सहमत होते हुए, हम.....बैंक लि०, आयातक की प्रार्थना पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उचित लेखा शीर्ष में सरकारी लेखे में जमा करने के लिए भुगतानों की सूचना की पावती की तिथि से दस दिनों के भीतर जापानी बैंक द्वारा व्यय की गई धनराशि को 1-येन– 0.0213 रुपये की दर से परिवर्तित करके अथवा निक्षेप करने के समय निर्दिष्ट की गई परिवर्तन की दर से और इस धन राशि में जापानी संभरक को भुगतान होने की तिथि से सरकारी खाते में समतुल्य रुपया जमा होने की तिथि तक की अवधि पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज जोड़ कर धन राशि जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं। जापानी बैंक से प्राप्त आयात प्रलेखों का परक्राम्य सेट यातक को तभी लौटाया जाएगा जबकि उपयुक्त अपेक्षित रुपया जमा कर दिया गया हो।

2 हम दि..... बैंक लि०, समय समय पर ऐसे स्थान और ऐसी रीति से जो सरकार निर्दिष्ट करे आयतक द्वारा सरकार को देय अथवा चुकाने योग्य किसी धन राशि को जो रुपये से अधिक न हो या निश्चित समय के भीतर आयातक द्वारा देय या चुकाने योग्य धनराशि के किसी भाग को और जापानी संभरक को भुगतान करने के तिथि से पिछली कंडिका में उल्लिखित ब्याज की दर से ब्याज को न चुकाने में आयातक की त्रुटि होने पर स्वयं क्षतिपूर्तिक करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त रखने का भी वचन देते हैं। उक्त भुगतान में आयातक द्वारा या उसकी तरफ से किसी प्रकार की त्रुटि और हमारे..... बैंक लि० द्वारा देय धनराशि के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और हमारे.....बैंक लि० पर लागू होगा।

3 हम.....बैंक लि० आगे इस बात पर सहमत हैं कि संविदा के अन्तर्गत आयातों के मूल्य में या जो माल छुड़ाना बाक़ी है उसके मूल्य में मुद्रा विनियम की आई० एम० एफ० समानता दर में वृद्धि होने की स्थिति में जब से परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अनुपात में इस बैंक गारन्टी बान्ड की धन-रा शि को समायोजित कर लिया जायेगा।

4 हम.....बैंक लि०, आगे सहमत है कि इसके अन्दर निहित यह गारन्टी उक्त करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक इसके अन्तर्गत सरकार को देय सब बकाया पूर्ण रुपेण नहीं चुकाए जाते और इस गारन्टी की हैसियत से दावों को पूर्ण नहीं कर दिया गया हो या वे अदा नहीं कर दिए गए हों।

5 इस गारन्टी पर आयातक या दि.....बैंक लि० के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नहीं पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारन्टी को प्रभावित किए बिना आयातक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार को किसी समय या समय समय के लिए स्थगित करे और पूर्वोक्त मामलों के संदर्भमें या आयातक को दिए जा रहे समय के कारण या सरकार की

और से किसी अन्य स्थगन निर्णय या छूट या सरकार द्वारा आयातक पर किसी अनुग्रह या कानून के अन्तर्गत प्रतिभूतियों से संबंधित कोई भी मामला या वस्तु जो इस परन्तुक के लिए दि..... बैंक लि० को इसके दायित्वों से मुक्त करने के लिए प्रभाव डाले सरकार द्वारा इन मामलों में किसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग करने से इस गारन्टी के अन्तर्गत दि.....बैंक लि० अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।

6 हम.....बैंक लि० अन्त में यह वचन लेते हैं कि सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना इस गारन्टी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

7 इस बान्ड/गारन्टी के अन्तर्गत हमारा दायित्व.....रुपये (+ ब्याज और कमीशन प्रभार जिसकी आशा गारन्टी की धनराशि के 1 प्रति० से अधिक होने की नहीं है) तक प्रतिबंधित है और यह गारन्टी**दिनांक.....तक और जब तक इस तिथि से 6 महीने के भीतर इस गारन्टी के अन्तर्गत दावे पूर्ण नहीं कर दिए जाते और जब तक अगले 6 महीनों के भीतर इन दावों को लागू करने के लिए आवेदन या कारवाई नहीं की जाती तब तक लागू रहेगी। इसके बाद अर्थात दिनांक..... तक इस बांड/गारन्टी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकार समाप्त हो जायेंगे और उसके अन्तर्गत हमारे सब उत्तरदायित्वों से हमें छुटकारा और कार्य मुक्ति मिल जाएगी।

दिनांक.....19

कृते.....बैंक लि०

भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से श्री हस्ताक्षर
द्वारा स्वीकृत (नाम तथा पदनाम)

हस्ताक्षर.....

**जिस तिथि तक साख पत्र को वैध रखने की आवश्यकता होती है उस तिथि में एक महीना जोड़ कर यह तिथि गिनी जाएगी।

टिप्पणी :—जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारन्टी कार्यान्वित की जानी है उसके मूल्य का निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत स्टाम्प समाहर्ता द्वारा किया जाना है।

अनुबन्ध 4

(भारत में जारी करने वाले बैंक का नाम)

सेवा में—

(नामित जापानी बैंक)

(दिनांक)

यह साख-पत्र भारत के लिए दसवें येन क्रेडिट (गैर परियोजना सहायता) से सम्बन्धित ऋण करार दिनांक के अनुच्छेद-5 के अनुरूप में और जापान के निर्यात–आयात बैंक द्वारा जारी किए गए अनुमोदन–पत्र संख्या के अनुसार जारी किया गया है।

प्रिय महोदय,

हम आप से यह परामर्श लेने के लिए अनुरोध करते हैं कि हमने अपरिवर्तनीय साख संख्या आपके नाम मे खाते के लिए राशि अथवा उन राशियों के लिए साख–पत्र खोल दिए है जो लाभ भोगी के ड्राफ्ट (टों) द्वारा जगह के लिए उपयुक्त कुल मूल्य का आप के (नामित जापानी बैंक) द्वारा लिए गए बीजक मूल्य जो.....से..... तक के लदान के लिए है और जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज भेजे जाने है :—

.....

.....

.....

सभी दस्तावेजों मे आयात लाइसेंस संख्या ..और जापान के निर्यात-आयात बैंक अनुमोदन नोटिस संख्या और आंशिक लदान स्वीकृत है/नहीं स्वीकृत है उसे सांकेतित किया जाना चाहिए। वाहनान्तरण स्वीकृत है। नही स्वीकृत है। जहाज लदान.....से पहले अवश्य हो जाने चाहिए। ड्राफ्ट आदेशिती को.....से पहले अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इसके अन्दर निकाले जाने वाले सभी ड्राफ्ट इस प्रकार चिह्नित होने चाहिए ".....के अन्तर्गत निकाले जाने के लिए" अपरिवर्तनीय क्रेडिट.....दिनाक.....।

हम एतद्द्वारा वचन देते है कि क्रेडिट की शर्तों के अनुसार और इसके अन्तर्गत निकाले गये सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर स्वीकार किए जाएंगे और आदेशिती को दस्तावेज सौंप दिए जाएंगे।

आपके बैंक द्वारा सभी परक्राम्य दस्तावेजों में सीधे हवाई डाक द्वारा भेजे जाने चाहिए।

विशेष निर्देश

1 प्रस्तुत साख पत्र तब तक उपलब्ध नही हो सकता जब तक दसवें येन क्रेडिट (गैर–परियोजना सहायता) से सम्बन्धित ऋण करार दिनांक.....के अनुच्छेद–5 में दी गई व्यवस्था के अनुसार

लाभ भोगी के लिए इस क्रेडिट के लिए दी गई आपकी सूचना के आधार पर उसके सम्बन्ध में वचनबद्ध पत्र जारी करना आपके द्वारा निश्चित और प्रमाणित नहीं कर लिया जाता।

2 इस साख-पत्र के अन्तर्गत ड्राफ्ट (टों) के भुगतान के साथ साथ उक्त ऋण करार के अनुच्छेद 5 के अनुसार आपके द्वारा प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी।

3 इस साख-पत्र के सम्बन्ध में बैंक को सभी प्रभार हमारे द्वारा अदा किए जाएंगे।

4 इस साख पत्र के अन्तर्गत भुगतान करने की अवधिक तिथि होगी।

भवदीय,

टिप्पणी :—भारत में जारी करने वाले बैंक को चाहिए कि वह साख-पत्र खोलने के सम्बन्धन में खोले गए साख—पत्र की एक प्रति के साथ आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू-2 अनुभाग) को अग्रसूचित करे

एम० एम० सैन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971